

कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर ।

घोषणा-पत्र

मरे द्वारा मानचित्र जमा करते समय निम्नलिखित घोषणा किया जाता है :-

1. भू-स्वामी/स्वामिनी का नाम : _____
2. प्रस्तावित स्थल का मुहल्ला : _____
3. आराजी संख्या : _____
4. स्थल पर अवैध निर्माण किया गया है अथवा नहीं : _____
5. स्थल पर पुराना भवन मौजूद है अथवा नहीं : _____
6. स्थल पर मानचित्र के विरुद्ध निर्माण है अथवा नहीं : _____
7. उक्त आराजी पर भवन निर्माण से पुरातत्व विभाग के नियम का उल्लंघन नहीं होगा । आराजी पुरातात्विक क्षेत्र से लगभग मीटर/कि०मी० दूरी पर स्थित है, जिससे संबंधित हल्का लेखपाल से प्राप्त आख्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है

हस्ताक्षर (पंजीकृत मानचित्रकार)

मुहर/ तिथि-

हस्ताक्षर भू-स्वामी

मु०/ग्राम-

तिथि -